कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय/ **REGIONAL OFFICE,**
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-A-22/17/AGT/2023-Estt.(Partfile) दिनांक:20-03-2025

परिपत्र

विषय- Seeking options for the choice of stations through online module from the officials on the administrative side of ESI Corporation drawing scale of pay corresponding to Group 'C' officials of the Central Government upto the cadre of Assistant for Annual General Transfer within the region (Intra Region) for the 'Transfer Year - 2025'

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में स्थापना-II शाखा, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा पत्र संख्या Pt-A-33/19/2/Transfer Policy/2022-E-II-Part(2) दिनांक 17.03.25 के माध्यम से जारी "परिपत्र" का संदर्भ लें। मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रशासनिक पक्ष के सहायक संवर्ग तक के कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण वर्ष-2025 में क्षेत्र के अंतर्गत (Intra Region) स्थानांतरण हेतु दिनांक- 19.03.2025 से 26.03.2025 तक विकल्प भरे जाने हैं।

इस संदर्भ में प्रशासनिक पक्ष के सहायक संवर्ग तक के कार्मिक स्थापना-II शाखा, मुख्यालय द्वारा पत्र सं. Pt-A-33/19/2/Transfer Policy/2022- E-I दिनांक- 10.01.2025 द्वारा जारी स्थानांतरण/तैनाती नीति के अनुसार स्थानांतरण हेतु अपने विकल्प दिनांक- 19.03.2025 से 26.03.2025 तक भरना सुनिश्चित करेंगें । उक्त स्थानांतरण नीति के अनुसार एक स्टेशन या कार्यालय में अनिवार्य स्थानांतरण हेतु अधिकतम अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों द्वारा एच.आर.एम.एस. माड्यूल में स्वतः अनिवार्य स्थानांतरण हेतु विकल्प प्रदर्शित न होने पर एच.आर.एम.एस. में उपलब्ध स्थानांतरण / तैनाती विवरण के अनुसार स्वतः स्थानांतरण हेतु विकल्प भरे जाने अपेक्षित हैं तथा यदि कार्मिकों द्वारा विकल्प नहीं भरे जाते हैं, तो प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा ।

संदर्भित मामले में सभी नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध हैं कि स्थापना-II शाखा, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा पत्र सं. Pt-A-33/19/2/Transfer Policy/2022-E-I दिनांक- 10.01.2025 द्वारा जारी स्थानांतरण/तैनाती नीति के अनुसार मुख्यालय द्वारा विकल्प भरे जाने हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों को दि. 04.04.2025 तक स्थानांतरण नीति के अनुसार जाँचोपरान्त अपनी अनुशंसा सहित आनलाइन अग्रसारित करना सुनिश्चित करें ।

इसके अतिरिक्त यदि स्थानांतरण नीति के अनुसार एक ही स्टेशन अथवा कार्यालय में अधिकतम अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिक, जिनके द्वारा अनिवार्य स्थानांतरण हेतु विकल्प भरे जाने हैं, उनमें से कोई कर्मचारी अपने स्थानांतरण विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा ।

स्थानांतरण अनुरोध के संबंध में स्थानांतरण नीति के बिंदु 12.2 के अनुसार स्थानातरण अनुरोध की फिजिकल प्रति, स्क्रीनशाट इत्यादि कार्मिकों द्वारा डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाएगी तथा संबंधित नियंत्रण अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष इसकी अनुपालना सुनिश्चित करेंगें तथा आनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (पोस्ट/ ई-मेल) से कार्मिकों के स्थानांतरण अनुरोध अग्रसारित नहीं करेंगें । इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित है कि ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन किये जाने पर 'स्थानांतरण मॉड्यूल' में तकनीकी समस्या के मामले में, मुख्यालय के पत्र संख्या Pt-A-33/19/2/Transfer Policy/2022-E-II-Part(2) दिनांक 17.03.25 पर दिए गए निर्देशानुसार संबंधित कर्मचारी के आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से विंडो अवधि (19.03.2025 से 26.03.2025) के भीतर हल किये जाने हेतु स्क्रीनशॉट संलग्न करके आईटी हेल्पडेस्क एवं प्रति jivnath.jha@esic.nic.in पर भेजी जाए ।

ऑनलाइन स्थानांतरण अनुरोध प्रस्तुत करते समय 'स्थानांतरण मॉड्यूल' में तकनीकी समस्या के मामले में, संबंधित अधिकारी के आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से आईटी हेल्पडेस्क से तुरंत संपर्क किया जा सकता है, स्क्रीनशॉट संलग्न करके, अनुरोध के साथ कि इसे विंडो अवधि (19.03.2025 से 26.03.2025) के भीतर हल किया जाए, जिसकी एक प्रति jivnath.jha@esic.nic.in पर भी भेजी जाए।

यह परिपत्र क्षेत्रीय निदेशक महोदय के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है ।

भवदीया,

Digitally signed by
Anita Suresh
Date: 20-03-2025
17:01:55

सलग्न: यथोपरि ।

(अनिता सुरेश)

उप निदेशक (स्थापना-I)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव, निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय,कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नोएडा / लखनऊ / वाराणसी को इस आशय के साथ प्रेषित है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं ।
3. चिकित्साधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बरेली / जाजमऊ / वाराणसी / लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं ।
4. डी.सी.बी.ओ. प्रभारी, कानपुर देहात / हापुड़ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं ।
5. क्षेत्रीय कार्यालय,कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर की सभी शाखाएँ ।
6. क्षेत्रीय कार्यालय,कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर के अधीन समस्त शाखा कार्यालय।
7. शाखाधिकारी, आई.टी.सेल, क्षेत्रीय कार्यालय,कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
8. नोटिस बोर्ड ।